

न्यायालय भूमि उप समाहर्ता ,बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -14/11-12

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता - आन्नद सिंह मुण्डा ,पिता-स्व० सहदेव मुण्डा
ग्राम-बुण्डू ,बेसरा टोली ,पो०-बुण्डू थाना-बुण्डू ,राँची।

क्रेता का नाम एवं पता - 1.सरस्वती देवी ,पति-श्री जीतराम मुण्डा
2. दिलेश्वर मुण्डा पिता-पलटन मुण्डा
दोनों ग्राम- पातरा टोली ,बुण्डू ,पो०-बुण्डू थाना-बुण्डू
जिला-राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम - श्री मनोज कुमार चौधरी

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06/05/2011 को क्रेता 1. सरस्वती देवी ,पति-श्री जीतराम मुण्डा 2. दिलेश्वर मुण्डा पिता-पलटन मुण्डा के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं।

भूमि का विवरण

<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना नं०</u>	<u>खाता सं०</u>	<u>प्लॉट सं०</u>	<u>रकवा</u>
बुण्डू	बुण्डू	28	229	94	1.05 ए० मध्ये 0.06 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी ,बुण्डू के पत्रांक-338(ii) दिनांक-26/07/11 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि:-

- (क) प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। पंजी-11 के अनुसार रैयत का नाम मोसमात चांदमनी पति-नटवर मुण्डारी है।
- (ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 0.60 1/2 एकड़ भूमि बच जाती है।
- (ग) आवेदक को लड़की की शादी कराने के लिए वह 23,000/- (तेईस हजार) रुपये प्रति डीसमील की दर से कुल 1,38,000/- (एक लाख अड़तीस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं।
- (घ) दोनो क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं, एवं एक ही थाना बुण्डू के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता आन्नद सिंह मुण्डा, पिता-स्व० सहदेव मुण्डा को क्रेता 1.सरस्वती देवी, पति-श्री जीतराम मुण्डा 2. दिलेश्वर मुण्डा पिता-पलटन मुण्डा के हाथो प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की हैं।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-06/05/11 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की हैं।

पुनः दिनांक-27/07/11 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से भी जाँच प्रतिवेदन की पुष्टि होती हैं।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता आन्नद सिंह मुण्डा, पिता-स्व० सहदेव मुण्डा के द्वारा क्रेता 1. सरस्वती देवी, पति-श्री जीतराम मुण्डा 2. दिलेश्वर मुण्डा पिता-पलटन मुण्डा के हाथो बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती हैं। आदेश दिया जाता हैं कि प्रस्तावित भूमि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर निम्नलिखित भूमि की बिक्री करें।

भूमि का विवरण					
मौजा	थाना	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू	28	229	94	1.05 ए० मध्ये 0.06 ए०

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू रॉटी ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू रॉटी ।